उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-28 /2019/314/22-4-19-119(ब)/2000टीसी-8(ए)
लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2019

शुद्धि पत्र

प्रदेश की कारागारों में स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था कराये जाने हेतु 04 कारागारों के लिए आई-5, 7जी जनरेशन स्टैण्डर्ड का डेस्कटाप कम्प्यूटर, 1000 वीए के यूपीएस, एचपी का ऑल इन वन प्रिन्टर एवं 16 जीबी की 16 अद्द पेनड्राइव क्रय किये जाने हेतु जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-24/2019/309/22-4-19-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2019 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षक "26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के स्थान पर "46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" मद पढ़ा जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2019 /314(1)/22-4-19-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल ऑडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in